न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी
आईएएस

प्रा० पत्र सं० 13/2019 आवंटन नियम 14(4)

हनुमानसहाय पुत्र रामधन जाति गुर्जर निवासी ग्राम काबलेश्वर, तहसील दौसा जिला दौसा राज०

..प्रार्थी

बनाम

1. रामावतार पुत्र गंगाधर जाति कोली निवासी ग्राम काबलेश्वर तहसील व जिला दौसा राज.
2. अध्यक्ष, आवंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष, तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दौसा

..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 12.11.1976 हाल खसरा नंबर 239 ग्राम गुडकी

उपस्थित–1. श्री दयाराम गुर्जर, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से
3. पैरोकार सरकार

<u>निर्णय</u> दिनांकः 11.01.2023

संक्षिप्त वृतांत प्रा० पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 12.11.1976 को ग्राम गुडकी के साबिक खसरा नंबर 12 में से 3 बीघा भूमि का आवंटन अप्रार्थी सं० 1 के पिता गंगाराम पुत्र भींवा को कर दिया। प्रार्थी द्वारा इसी आवंटन आदेश से व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू–आवंटन नियम–1970 के तहत प्रस्तुत किया गया।

प्रा० पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 12.11.1976 को सिवायचक आराजी वर्तमान खसरा नंबर 239 में से विधि विरूद्ध तरीके से भूमि का आवंटन आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए अवैधानिक रूप से अप्रार्थी संख्या 1 के पिता गंगाराम पुत्र भींवा जाति कोली को कर दिया। उक्त खसरा नंबर के संबंध में कोई उदघोषणा नहीं की गई है ना ही मौके पर उक्त भूमि आवंटन योग्य थी, और ना ही आवंटी का वादग्रस्त भूमि पर कभी भी कब्जा रहा है। भूमि आवंटन हेतु विहित नियमों की पालना नहीं करते हुए विधि विरूद्ध तरीके से वादग्रस्त भूमि का आवंटन गंगाराम कोली के पक्ष में किया गया है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 12.11.1976 [illegible] गुडकी में अप्रार्थी सं. 1 के पिता गंगाराम के नाम भूमि आवंटन हुआ था, [illegible] गंगाराम की मृत्यु हो जाने से अप्रार्थी सं० 1 को पक्षकार बन[illegible] सं. 1 के पिता के नाम आवंटन फार्म को विधिवत रूप से नहीं भरा गया है तथा आवंटन फार्म में 55 बीघा [illegible] गया है। साक्षी बतौर गवाहों के हस्ताक्षर नहीं है। जब[illegible] आवंटन 3 बीघा [illegible] है। तथा वर्तमान में 0.10है. गैर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। आवंटित भूमि बाबत सुपुदर्गीनामा रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 4.7.1977 को आवंटन के लगभग 6 माह बाद अवैध रूप से तैयार कर पेश की गई है, जबकि वास्तविकता में उक्त भूमि कभी सुपुर्द ही नहीं

......निरंतर 2 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:19:41 IST
Reason: SelfAttested

की गई है। प्रार्थी का उक्त आवंटित भूमि पर पूर्व से ही कब्जा चला आ रहा है तथा उक्त भूमि उबड खाबड थी, जिसको प्रार्थी द्वारा लाखों रूपये खर्च कर कृषि योग्य बनाया है। आवंटन कमेटी द्वारा 3 बीघा भूमि आवंटन की अनुशंषा की गई है जबकि वर्तमान में 0.10है. भूमि गैर खातेदारी में अंकन किया हुआ है। भूमि आवंटन के समय एवं आवंटन से पूर्व खाली नहीं थी, बल्कि प्रार्थी व प्रार्थी के पूर्वजों का कब्जा काश्त था, इसलिए भी उक्त आवंटन निरस्त योग्य है। आवंटन की कार्यवाही गुपचुप में की गई है। आवंटन फोड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन करके कराया गया है। वर्तमान में भी भूमि गैर खातेदारी में दर्ज है। अधिवक्ता प्रार्थी ने यह भी दलील दी कि भूमि आवंटन होने के 25 वर्ष तक भी यदि भूमि गैर खातेदारी में दर्ज हो तो उक्त भूमि का आवंटन निरस्त कर दिया जाना चाहिए। अतः प्रा0पत्र अंतर्गत 14(4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी सं.0 1 के हक में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 12.11.1976 को निरस्त फरमाये जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की बहस में दलील है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा मिन अप्रार्थीगण के पिता गंगाराम पुत्र भींवा के हक में किया गया आवंटन विधि पूर्ण है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा की गई भूमि आवंटन के बाद पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक के द्वारा दिनांक 4.7.1977 को अप्रार्थी के पिता गंगाराम को कब्जा सुपुर्द किये जाने के दिन से ही भूमि पर काबिज काश्त होकर लाभांवित चले आ रहे है। अप्रार्थी सं0 1 के पिता गंगाराम द्वारा भूमि आवंटन हेतु जो आवेदन पत्र आवंटन कमेटी के समक्ष पेश किया गया था, वह पूर्णरूपेण था, जिसमें समस्त कॉलम भरे हुए थे। आवंटी द्वारा आवंटन नियमों की अक्षरशः पालना की गई है। आवंटन कमेटी द्वारा आवेदन की गहनता से जांच कर विधिपूर्ण तरीके से भूमि का आवंटन किया गया है। प्रार्थी का अप्रार्थीगण सं. 1 के पिता गंगाराम को आवंटित भूमि से किसी भी प्रकार का कोई संबंध/वास्ता नहीं है। प्रार्थी का आवंटित भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अप्रार्थीगण सं. 1 के पिता द्वारा प्रश्नगत आवंटित भूमि को लाखों रूपये खर्च कर उपजाउ बनाया है। प्रार्थी गुर्जर जाति का व्यक्ति है जो कि अप्रार्थी सं0 1 कोली जाति के व्यक्ति की भूमि पर जबरन लाठी के बल पर कब्जा करना चाहता है। इसी आशय से नितान्त झूंठे आधारों पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी का कभी भी उक्त भूमि पर ना तो वर्तमान में कब्जा काश्त है और ना ही पूर्व में कभी रहा है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा भूमि का आवंटन मजमें आम मे किया गया है। प्रार्थी को उक्त भूमि आवंटन की जानकारी आवंटन की दिनांक से ही रही है किन्तु प्रार्थी ने वर्ष 1976 में हुए आवंटन को इतनी लंबी अवधि के बाद चुनौती दी गई है। उक्त लंबी अवधि बाद आवंटन आदेश को चुनौती दिये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण भी अंकित नहीं किया गया है। प्रा0पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) आवंटन नियम 1970 मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। भूमि का आवंटन पूर्ण प्रकिया अपनाते हुए विधिवत रूप से किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार का फ्रोड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा बोगस, मिथ्या एवं निरधार प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा निरस्त फरमाया जावे।

पैरोकार सरकार ने बहस में दलील दी कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 को अत्यधिक विलंब से अर्थात भूमि आवंटन के लगभग 43 वर्ष बाद चुनौती दी गई है। प्रार्थना पत्र अत्यधिक विलंब से पेश किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण भी नहीं बताया गया है। प्रार्थी का प्रश्नगत आवंटित भूमि पर कब्जा प्रमाणित नहीं होता है। भूमि आवंटन के बाद पटवारी हल्का द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के पिता को दो व्यक्तियों की उपस्थिति में आवंटित भूमि का कब्जा संभलाया गया है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 को परेशान करने की नीयत से यह प्रार्थना

......निरंतर 3 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:19:41 IST
Reason: SelfAttested

Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर, दौसा

पत्र पेश किया गया है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रश्नगत भूमि का नियमानुसार आवंटन किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपनी याचना में अप्रार्थी सं01 के हक में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 12.11.1976 को निरस्त करने की प्रार्थना की गई है, जबकि अप्रार्थी सं0 1 को दिनांक 12.11.1976 को किसी प्रकार का भूमि का आवंटन नहीं हुआ है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 खारिज फरमाया जावे।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 12.11.1976 को ग्राम गुडकी स्थित खसरा नंबर 12 में से 3 बीघा भूमि का आवंटन गंगाराम पुत्र भींवा जाति कोली निवासी काबलेश्वर को किया गया था। पत्रावली में संलग्न मूल आवंटन पत्रावली का अवलोकन किया गया। आवंटी गंगाराम द्वारा भूमि आवंटन किये जाने हेतु विधिवत रूप से आवेदन पत्र भरकर पेश किया गया था। भूमि आवंटन हेतु आवेदन पेश करने पर पटवारी हल्का की जांच की गई जिसमें आवंटी को भूमिहीन होना व राजकीय सेवा में नहीं होने की रिपोर्ट पेश की गई है। तत्पश्चात आवंटन कमेटी द्वारा भूमि का आवंटन मजमें आम में किया गया है। भूमि आवंटन के पश्चात पटवारी हल्का द्वारा दो व्यक्तियों की मौजूदगी में आवंटित भूमि का कब्जा संभलाया गया था। प्रश्नगत भूमि वर्तमान में गैर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 12.11.1976 को लंबी अवधि बाद चुनौती दी गई है। अत्यधिक विलंब से आवंटन को निरस्त किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण भी नहीं बताया गया है। साथ ही प्रार्थी यह तथ्य साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है कि प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थी का कभी कब्जा काश्त रहा हो या वर्तमान में कब्जा काश्त हो। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रश्नगत भूमि का आवंटन पूर्ण प्रकिया अपनाते हुए विधिवत रूप से किया गया है। आवंटन आदेश में किसी भी प्रकार का फ्रोड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन किया जाना नहीं पाया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 में अप्रार्थी सं0 1 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 12.11.1976 को किया गया आवंटन निरस्त करने की इस्तदुआ की गई है। जबकि आवंटन आदेश दिनांक 12.11.1976 के द्वारा अप्रार्थी सं0 1 को किसी प्रकार का भूमि का आवंटन नहीं हुआ है, बल्कि अप्रार्थी सं0 1 के पिता को दिनांक 12.11.1976 को भूमि का आवंटन किया गया है। हम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत 14(4) आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 12.11.1976 के द्वारा आवंटी गंगाराम पुत्र भींवा के पक्ष में भूमि साबिक खसरा नंबर 12 मिन में से 3 बीघा भूमि वाके ग्राम गुडकी का किया गया आवंटन आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:19:41 IST
Reason: SelfAttested

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 11 जनवरी, 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा